गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1960[1]

(1960 का गुजरात अधिनियम संख्या 1)

1962 के गुजरात अधिनियम 23 द्वारा संशोधित । **[22 सितंबर, 1960]**

**गुजरात विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या
बने रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के हटाने का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम**

संविधान में, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा यह घोषित किए जाने के लिए उपबंध है कि भारत सरकार या उक्त संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारक राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

ऐसी घोषणा किया जाना समीचीन है ; भारत गणराज्य के ग्यारहवे वर्ष में यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1960 है ।

(2) यह 1 मई, 1960 को प्रवृत्त होगा ।

[*]**2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना**---कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है, गुजरात विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

3. 1960 के गुजरात अध्यादेश सं0 5 का निरसन---गुजरात विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अध्यादेश, 1960 का निरसन किया जाता है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. गुजरात सरकार के किसी मंत्री के संसदीय सचिव का पद ।

2. किसी सरकारी कालेज में अंशकालिक आचार्य या प्राध्यापक का पद ।

3. राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना में कोई पद ।

4. होमगार्ड में कोई पद ।

5. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या के अधीन किसी ग्राम रक्षा दल (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद ।

6. मुंबई वन्य पशु और वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 या गुजरात राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्संबंधी विधि के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्य का पद ।

7. राज्य सरकार द्वारा जिला या प्रादेशिक विकास बोर्ड (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) के सचिव का पद :

परंतु यह कि ऐसे पद का धारक राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो ।

8. किसी बीमाकर्ता, जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध, जीवनबीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है, के अधीन कोई पद ।

स्पष्टीकरण---इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ, "नियंत्रित कारबार" और "बीमाकर्ता" के वही अर्थ होंगे जो जीवनबीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 में उनके हैं ।

---

[1] उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए गुजरात सरकार राजपत्र, 1960, भाग v, पृष्ठ 13 देखें ।

[*] कृपया गुजरात स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट क्लीयरेंस एंड रिडेवलपमेंट) ऐक्ट, 1973 देखें ।

9. सरकारी प्रबंध के अधीन किसी अस्पताल के अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या अवैतनिक सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद ।

10. मुंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 के अधीन गठित श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद।

11. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद :

[1][परंतु यह कि ऐसी समिति या निकाय का अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकर भत्ते से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त न करता हो और न ही ऐसी कोई सुविधा (इसमें सुसज्जित कार्यालय, कर्मचारिवृन्द, यान या मुफ्त निवासीय आवास है) जो सरकार द्वारा अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त करता हो ।]

स्पष्टीकरण---इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ, "प्रतिकर भत्ते" से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता या ऐसा अन्य भत्ता जो उक्त पद के धारक को समिति या निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अथवा उक्त पद के धारक के रूप में कोई अन्य कृत्य निष्पादित करने के लिए अपने वैयक्तिक व्यय की पूर्ति के प्रयोजनार्थ संदत्त किया जाता हो, अभिप्रेत है ।

12. केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग या गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही किसी परीक्षा के परीक्षक का पद ।

13. उक्त अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सीय फायदा देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन धृत निम्नलिखित पद, अर्थात् :--

(क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी का पद,

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह या अन्य संस्था में अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ का पद , और

(ग) किसी प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम या प्रसूति गृह अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा फायदा देने के लिए नियुक्त चिकित्सा व्यवसायी का पद ।

[2][[3][14.] केवल इस कारण कि वह ऐसा पद धारण कर रहा है, गुजरात उद्योग विकास निगम का गुजरात उद्योग विकास अधिनियम, 1962 (1962 का गुजरात अधिनियम 23) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) या (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य का पद ।]

[4][15. गुजरात आदिवासी विकास निगम अधिनियम, 1972 के अधीन गठित गुजरात आदिवासी विकास निगम के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

16. गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

17. गुजरात पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

18. गुजरात अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

19. गुजरात शेडूल्ड कास्ट इकॉनामिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

20. गुजरात राज्य अनुसूचित जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

---

[1] 1984 के गुजरात अधिनियम सं0 17 की धारा 2 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] प्रविष्टि 13क, 1962 के गुजरात अधिनियम सं0 23 की धारा 59 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 1962 के गुजरात अधिनियम सं0 23 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 13क को प्रविष्टि 14 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
[4] 1962 के गुजरात अधिनियम सं0 23 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

21. गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

22. गुजरात भूमिहीन श्रमिक और हलपट्टी आवासन बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद ।

23. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के दक्ष क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और अपर कार्यकारी अध्यक्ष का पद ।]

[1][24. सरकारी मुख्य सचेतक का पद ।]

[2][25. फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड के अध्यक्ष का पद ।

[3][26. सडक परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन स्थापित गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष का पद ।

27. गुजरात डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद ।

28. गुजरात स्टेट हैण्डलूम डेवलपेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद ।

29. गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद ।

30. भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित गुजरात राज्य भाण्डागारण निगम के अध्यक्ष या निदेशक का पद ।

[4][31.] सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष या निदेशक का पद ।]

---

[1] 1985 के गुजरात अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 1986 के गुजरात अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (19-10-1985 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1991 के गुजरात अधिनियम सं0 16 की धारा 2 द्वारा (3-4-1991 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1996 के गुजरात अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (9-9-1995 से) अंतःस्थापित ।